

**न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर**  
**(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)**

**फाइलिंग नंबर 235103001152010**

**दांडिक प्रकरण क.-47 / 10**

**संस्थापित दिनांक-09.03.10**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <span style="float: right;">.....अभियोजन</span>	
<b>विरुद्ध</b>	
01-धर्मेन्द्र कुमार पुत्र आलमचंद्र जैन उम्र 35 साल निवासी बामौरकला। <span style="float: right;">.....आरोपी</span>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री चौरसिया अधिवक्ता।

**:- निर्णय :-**

**(आज दिनांक 01.03.2017 को घोषित)**

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 279, 337, 338 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का आहत राजेश से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को आहत राजेश के संबंध में भादवि की धारा 337, 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय राजेश सिंह के संबंध में भादवि की धारा 279 तथा राजभान के संबंध में भादवि की धारा 279, 337, 338 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी राजभान यादव ने दिनांक 14.01.10 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह तथा राजेश मोटरसाईकिल से राजघाट का मेला देखकर वापस अपने गांव भीकले जा रहे थे कि फतेहाबाद गांव के पास नई बस्ती फतेहाबाद के सामने थूबोन तरफ से मोटरसाईकिल चालक जिसका वह नाम नहीं जानता उसने उसकी मोटरसाईकिल में सामने से भिड़ाई जिससे उसे एवं राजेश को चोटें आई एवं मोटरसाईकिल का नुकसान हो गया। मोटरसाईकिल का नंबर एमपी 08 एमपी 4326 है मोटरसाईकिल कौन की है एवं किसकी है उसे पता नहीं। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 44/10 के अंतर्गत भादवि की धारा 279, 337, 338 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 279, 337, 338 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया तथा आरोपी ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 14.01.10 को शाम को 6 बजे के करीब फतेहाबाद रोड पर वाहन क्रमांक एमपी 08/एमपी 4326 मोटरसाईकिल को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर प्रश्नगत वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर प्रार्थी राजेश को टक्कर मारकर साधारण उपहति तथा प्रार्थी राजभान को घोर उपहति कारित की ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशुद्ध एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 राजेश, अ.सा. 02 मुंशीलाल, अ.सा. 03 सौभागसिंह, अ.सा. 04 दीपक कुमार, अ.सा. 05 श्री जी आर खरका, अ.सा. 06 जंगबहादुर की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 राजेश ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह और राजभान मोटरसाईकिल पर बैठकर जा रहे थे तथा राजभान मोटरसाईकिल चला रहा था। उक्त साक्षी के अनुसार एक मोटरसाईकिल चालक आया और उसने उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी। उक्त साक्षी ने आरोपी को न्यायालय में देखकर कहा है कि यह वह व्यक्ति नहीं है जिसने टक्कर मारी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित कर टक्कर मारी थी। अ.सा. 02 मुंशीलाल ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वह मोटरसाईकिल से जा रहा था तथा उनके आगे राजभान और राजेश जा रहे थे। उक्त साक्षी के अनुसार दोनों का एकसीडेंट हो गया था, किंतु उक्त साक्षी ने कहा कि उसने एकसीडेंट नहीं देखा। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी द्वारा लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकिल चालित कर राजेश की मोटरसाईकिल में टक्कर मारी गई थी। अ.सा. 03 सौभागसिंह ने भी अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की जानकारी नहीं है तथा उसने एकसीडेंट नहीं देखा। उक्त साक्षी ने भी इस बात से इंकार किया है कि आरोपी द्वारा मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित कर राजेश की मोटरसाईकिल में टक्कर मारी गई थी। अ.सा. 04 दीपक कुमार ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को कोई एकसीडेंट हुआ था। उक्त साक्षी ने दस्तावेज प्रपी 03 लगायत प्रपी 04 पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी से मोटरसाईकिल जप्त हुई थी।

09— अ.सा. 05 डॉ एम एल खरका द्वारा अपने कथन में बताया गया है कि दिनांक 14.01.10 को आहत राजेश कुमार एवं आहत राजभान का मेडिकल परीक्षण किया गया था।

उक्त साक्षी के अनुसार मेडिकल रिपोर्ट प्रपी 05 एवं प्रपी 06 हैं जिनके अनुसार दोनों आहतगण को दो-दो चोटें शरीर पर आई थीं। अ.सा. 06 जंगबहादुर जो कि मामले का विवेचक है ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में जांच के दौरान प्रसूरी प्रपी 08, नक्शामौका प्रपी 09 तैयार किया गया था तथा आरोपी को प्रपी 03 के अनुसार गिरफ्तार किया गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसने प्रपी 04 के अनुसार प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही की थी।

10— प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि मामले के फरियादी/आहत राजेश ने अपने कथन में इस बात से इंकार किया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा मोटरसाईकिल से तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित कर उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मारी गई। प्रकरण के अन्य चक्षुदर्शी साक्षी अ.सा. 02 लगायत अ.सा. 04 द्वारा अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। एक भी साक्षी ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित कर टक्कर मारी गई। उल्लेखनीय है कि अ.सा. 02 लगायत अ.सा. 04 ने अपने कथनों में इस बात से इंकार किया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित कर टक्कर मारी गई। उल्लेखनीय है कि मामले के फरियादी राजभान की मृत्यु हो गई है तथा उसे प्रकरण में फौत घोषित कर दिया गया है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण का एक आहत राजेश पक्षद्रोही हो गया है तथा उसके द्वारा अभियोजन की कहानी का कोई समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उससे यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित कर फरियादी की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर उसे उपहति कारित की गई।

11— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को राजेश सिंह के संबंध में भादवि की धारा 279 तथा राजभान के संबंध में भादवि की धारा 279, 337, 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

13— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उक्त सुपुर्दनामा निरस्त समझा जावे।

14— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)